

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/अति.आ./2015/डी- 14 ड. 2

दिनांक : 11.06.2015

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जविप्रा/अति.आ. (एलपीसी)/ 15/डी-204, दिनांक 21.09.2010 द्वारा एक प्री-एलपीसी कमेटी का गठन उन प्रकरणों की जांच हेतु किया गया था जिन्हें एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत किया जाना है। इस समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है-

1. अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
2. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
3. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.)

इस समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को सम्पादित की जाएगी, ताकि रिसर्जेंट राजस्थान 2015 एवं अन्य आवंटन प्रकरणों के आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण हो सके। यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू होगी व रिसर्जेंट राजस्थान 2015 के समापन तक प्रभावी रहेगी।



(शिखर अग्रवाल)
जयपुर विकास आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी/प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त आयुक्त (आर. एम. एण्ड सी.), जविप्रा, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
6. सम्पत्ति उपायुक्त, जविप्रा, जयपुर।
7. रक्षितपत्रावली।



जयपुर विकास आयुक्त